(147)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 694–पीबीआर/06 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–8–2003 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 194/2002–03/स्व.निग.

1– निहाल सिंह पुत्र भगवानसिंह मिर्धा
2– दयाल सिंह पुत्र भगवानसिंह मिर्धा
3– श्रीमती महादेवी विधवा भगवानदास मिर्धा
4– श्रीमती गौमाबाई विधवा अहवरनसिंह मिर्धा
निवासीगण ग्राम अजयगढ़
तहसील डबरा जिला ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– कृष्णवल्लभ पुत्र दुर्गा प्रसाद
निवासी वरगंवा
तहसील डबरा जिला ग्वालियर
2– म0प्र0 राज्य द्वारा कलेक्टर, ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री पी0एस0 जादौन, अभिभाषक, अनावेदक क. 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 23/1/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–8–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कलेक्टर, ग्वालिग्र द्वारा आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन भेजा गया कि अनुविभागीय अधिकारी, डबरा द्वारा प्रकरण कमांक 1/88–89/अ–90/ब–3 में पारित आदेश दिनांक

23–1–89 एवं 4–2–89 को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर कार्यवाही की जाये । आयुक्त द्वारा प्रकरण दर्ज कर निराकरण हेतु प्रकरण अपर आयुक्त को भेजा गया । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27–8–2003 को आदेश पारित कर प्रकरण को स्वप्रेरणा से निगरानी में लिये जाने का औचित्य नहीं होने से स्वप्रेरणा से निगरानी में नहीं लिया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा बिना प्रकिया का पालन किये अपात्र व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई थी, इस कारण कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिस पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का अनेक वर्षों से कब्जा चला आ रहा है, अतः आवेदकगण के कब्जे वाली भूमि को सीलिंग के अंतर्गत सरप्लस घोषित नहीं कर अन्य भूमि को सरप्लस घोषित की जानी चाहिए थी । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि के आवंटन हेतु पात्र हैं, और उक्त भूमि उन्हें ही आवंटित की जानी चाहिए थी, अन्य व्यक्तियों को नहीं । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में आवेदकगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है ।

4/ अनावेदक क्रमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश उचित है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रतिवेदन को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपने प्रतिवेदन में ऐसा कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कि अपर आयुक्त द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की जाये । कलेक्टर द्वारा केवल इस आधार पर प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लिये जाने सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर वर्तमान में कब्जा आवेदकगण का है, और उनके द्वारा भूमि धारक से क्रय की गई है, इसलिए पूर्व में भूमि आवंटन सम्बन्धी आदेश का पुनर्विलोकन किया जाना आवश्यक है। कलेक्टर का उक्त प्रतिवेदन उचित नहीं है, क्योंकि जब भूमि सीलिंग से अतिशेष घोषित

होकर शासकीय दर्ज हो गई है तब भूमिहीन कृषकों के पक्ष में जारी आवंटन आदेश का पुनर्विलोकन किया जाना वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसंगत आदेश है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–8–2003 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर